फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

कविता ....बनाम सरकार

संख्याः- 306/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/12/2024	पत्रावली वास्ते आदेश ~~पेश~~ प्रस्तुत हुई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 151/152 CPC स्वीकार किया जाता है। तत्काल [illegible] प्रार्थना ~~[illegible]~~ से निकाला जाकर याचित पत्रावली [illegible] दर्ज गया ~~पत्रावली [illegible] [illegible]~~ नकल [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

ासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
र्थना पत्र : 306/2024
र्णय दिनांक : 27.12.2024

उनवानी

कविता देवी पत्नी श्री हनुमान नेहरा, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
सुन्दर देवी पत्नी श्री मुरली, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
हनुमान पुत्र श्री मुरली, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार वाया ईसा जी सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
उप–तहसीलदार जी, बगरू, जिला जयपुर।
कमलेश जांगिड पुत्र श्री राधेश्याम, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
प्रेम देवी पुत्री श्री राधेश्याम, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
वीना देवी पुत्री श्री जगदीश, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
भगवान सहाय पुत्र श्री जगदीश, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
भूरी देवी पुत्री श्री राधेश्याम, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
रामजीलाल पुत्र श्री रामसहाय, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी 627ए, टैम्पो स्टैण्ड के पास, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर।
रामस्वरूप पुत्र श्री राधेश्याम, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
लालाराम पुत्र श्री घासी, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
सरजू देवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिहपुरा वास नेवटा, तहसील सागानेर, जिला जयपुर।
सुरेश पुत्र श्री राधेश्याम, जाति खाती, निंवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
हनुमान जांगिड पुत्र श्री जगदीश, जाति खाती, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री रामजीलाल पुत्र श्री रामसहाय, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी 627ए, टैम्पो स्टैण्ड के पास, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 27.12.2024**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि ख़सरा नंबर 55 क्षेत्रफल 0.5500 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भूअभि.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

लवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है। प्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी खसरा नंबर 54 क्षेत्रफल 1.4400 हैक्टेयर व खसरा नंबर 60 क्षेत्रफल 0.8400 हैक्टेयर ग्राम ा वास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू.अभि.नि.क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि के लगवा ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, पटवार हल्का अभि.नि.क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में ही अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 13 भूमि खसरा नंबर 57 क्षेत्रफल 1.7100 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 व षि भूमि खसरा नंबर 56 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 13 सीमाओ का विवाद कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 54, 55 व 60 पर कब्जा करने ने की मेडबन्दी तोडने की कोशिशें करते रहते है व मना करने पर भी नहीं मानते है। अप्रार्थी लगायत 13 को प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा करने का नहीं है। विवादों से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य में कोई विवाद न हो व प्रार्थीगण मे की सुरक्षा कर सकें, प्रार्थीगण ने दिनांक 12.06.2024 को अप्रार्थी सख्या 2 के आदेश से षि भूमि खसरा नंबर 54, 55 व 60 का सीमा ज्ञान करवाया है। उक्त सीमाज्ञान के बाद भी संख्या 3 लगायत 13 प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 54, 55 व 60 पर ब्जा करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 13 सीमाज्ञान आदेश दिनांक 12.06.2024 नही रहे है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाह रहे है। प्रार्थीगण सीमाज्ञान देनांक 12.06.2024 के अनुसार अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 54, 55 व 60 की पत्थरगडी चाहते है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 54, 55 व 60 के अभिलेखित खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगडी करवाने नून अधिकार है। वादकारण प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि का दिनाक 12.06.2024 को न करवाने व उक्त सीमाज्ञान को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 13 द्वारा नहीं मानने के कारण होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 54, 55 व 60 स्थित ग्राम जयसिंहपुरा वटा, पटवार हल्का नेवटा, भूअभि निक्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का न दिनांक 12.06.2024 के अनुसार मौके पर पत्थरगडी किए जाने के आदेश दिए जाने की रें व इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जारी करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 2024 को अप्रार्थीगण संख्या 8 की ओर से यू टी पेश। अप्रार्थी संख्या 24 उपस्थित अप्रार्थी 3 लगायत 7 व 9 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता खेमचन्द कुमावत उपस्थित। अप्रार्थी 1 व 2 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से दिनांक 24.10.2024 को एकतरफा कार्यवाही में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 14 की ओर से जवाब पेश। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार प्रार्थना पत्र को जिस प्रकार से तमकील किया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी ने भी प्रार्थी की मेडबन्दी इत्यादि तौडने की कोशिश नहीं की ब्लकि वास्तविकता यह कि प्रार्थी को जानता तक नहीं है। क्योकि अप्रार्थी को प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पक्षकार ही नहीं था. ओर प्रार्थी ने म तक अर्थात अप्रार्थी के पिताजी को पक्षकार बनाकर नोटिस भिजवाये तब नें अप्रार्थी सख्या 14 आर्डर 01 रूल 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र कार बना है। जिससे साफ प्रतित होता है कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र झुठे आधारो पर पेश है। जिसमे प्रार्थी किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। परिगामस्वरूप का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार योकि प्रार्थना पत्र के प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी सख्या 02 से सीमा ज्ञान करवाते समय अप्रार्थी को ना इत्यादि नही दी गई एव ना ही अप्रार्थी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में सीमा ज्ञान की जानकारी क्योकि अप्रार्थी सख्या 02 कभी भी मोके पर नही आया ना ही अप्राथी सख्या 14 को इस बात सुचना दी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा करवाया गया सीमा ज्ञान निर्थक एवं बेअसर है, क्योकि आशय का कोई सीमा ज्ञान मोके पर आकर किया नही किया गया, उक्त आशय का सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

र्थी को सुने बिना व मिली भगत से किया गया है जो विधि की दृष्टि में उचित नही है। मे प्रार्थी ने ना तो अप्रार्थी सख्या 14 की जानकारी से सीमा ज्ञान करवाया जो प्रकरण भावित पक्षकार है ना ही अप्रार्थी सख्या 14 ने तथाकथित सीमा ज्ञान दिनांकित 12.06.2024 से इन्कार किया है क्योकि जब प्रार्थी अप्रार्थी सख्या 14 को बाई नेम या बाई फेस जानता तो आदेश को मानने या नहीं मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित होने से अस्वीकार है प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया रिज किये जाने योग्य है। क्योकि कानूनन प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय से समक्ष स्वच्छ आना चाहिए ऐसा प्रार्थी ने नहीं किया है, परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने दिनाक 18.12.2024 को उभयपक्ष उपस्थिति, प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी एवं मूल प्रार्थना ज्ञान एव पत्थरगढी पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्षकारान बहस पर मननं किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का किया जाने पर राजस्व जमाबन्दी में विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। ने दिनांक 12.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया गया जो शामिल मिसल है। प्रार्थीगण द्वारा की सुरक्षार्थ हेतु सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया र्थीगण का विधिक अधिकार है, जिसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार की आपत्ति करने का नही रखते है। ऐसी स्थति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111 एवं 128 भू–राजस्व आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी वीकार कर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा 55, 60 ग्राम जंयसिंहपुरा वास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू.अभि.नि.क्षेत्र कलवाडा, तहसील का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 12.6.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह रें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त

र्णय आज दिनांक 27.12.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिहं)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)